भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1221
सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ईएसआई योजना

1221. श्री शफी परम्बिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च 2025 तक ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर, श्रमिकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में 90% से अधिक श्रमिक अपने कार्य की असंगठित/अनौपचारिक प्रकृति के कारण ईएसआई योजना के दायरे से बाहर हैं;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ईएसआई लाभ प्रदान करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत बनाई गई कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू है जिनमें दस या अधिक कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 21,000 रुपये (नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये) तक है। इस प्रकार, यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या 3,80,41,160 (अनंतिम) है।

सरकार ने संगठित या असंगठित अथवा किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है।

*****